समाहरणालय मधेपुरा

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक........../वि०

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा।

....

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
मधेपुरा जिला

मधेपुरा दिनांक........./........../2016

विषय :- मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा अन्तर्गत जिला में सोलर वाटर पंप के अधिष्ठापन के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशक ब्रेडा पटना के पत्रांक 1522 दिनांक 28.11.2015 एवं पत्रांक 1523 दिनांक 28.11.2015, पत्रांक 1572 दिनांक 11.12.2015.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा अन्तर्गत जिला में सोलर वाटर पंप के अधिष्ठापन हेतु विस्तृत निदेश विभाग द्वारा दिया गया हैं ।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर जिला विकास शाखा, मधेपुरा के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

अनुलग्नक :- यथोपरी ,

विश्वासभाजन
ह०/०
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
मधेपुरा।

ज्ञापांक......06......./वि0 मधेपुरा दिनांक...04.../..01../2016

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ,(एन.आई.सी.) मधेपुरा को सूचनार्थ एवे जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
मधेपुरा।

दरोग प्रभारी पदाधिकारी
शाखा. [illegible]

बिहार सरकार
बिहार रिन्यूएबुल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी
[illegible]

[illegible]

पत्रांक – BREDA/SPV-SWPS-15/2015-16 1572 दिनांक [illegible]/12/2015

14 DEC 2015

उप निदेशक,
ब्रेडा, पटना।

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:– 2HP एवं 3HP DC Submersible सोलर वाटर पम्प का लाभार्थी सूची भेजने के संबंध में।

प्रसंग:– ब्रेडा पत्रांक 1522 एवं 1523 दिनांक 28.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2015-16 में सोलर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2HP एवं 3HP DC submersible सोलर वाटर पम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना है। इस योजना हेतु हमारे लाभार्थी को 4 इंच का बोरिंग [illegible] कराने हेतु [illegible] निदेश दिया गया था। 4 इंच का बोरिंग न कर 6 या 8 इंच का बोरिंग DC Submersible Solar Water Pump के लिए suitable होगा।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,
ब्रेडा, पटना।

74307

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

समाहरणालय
28 NOV 2015

बिहार सरकार
बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी
(ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी अभिकरण)

Email: breda@breda.in
Tel no.- 0612-2507734 fax no.-0612-2506672

पत्रांक — BREDA/SPV/SWPS/13/2015-16 / 1822 दिनांक 28/11/2015

प्रेषक,
निदेशक,
ब्रेडा, पटना।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,

विषय:— सोलर वाटर पम्प का लाभार्थी सूची भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना अंतर्गत बिहार सरकार के कृषि रोड मैप में 2012–17 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत अर्थात् 428 मेगावाट की आवश्यकता की पूर्ति का लक्ष्य है ताकि किसानों को वर्ष भर उनके खेतों पर ऊर्जा मिल सके और उनकी ग्रिड की ऊर्जा पर निर्भरता को कम किया जा सके। वर्ष 2015–16 राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2HP के सोलर वाटर पम्पों का अधिष्ठापन जिला अन्तर्गत कराया जाना है।

इस योजना हेतु लाभार्थी लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के होंगे। लाभार्थी को 4 इंच का बोरिंग की व्यवस्था स्वयं करना होगा। योजना में 2HP DC Submersible Solar Water Pump का अधिष्ठापन कराया जायेगा।

इस योजना में 25% प्रतिशत राशि लाभुकों को अंशदान के रूप में देना होगा, शेष राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। ब्रेडा द्वारा सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु निविदा की गई है। सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी एवं स्थान चयन का अंतिम अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।

1. लाभार्थी चयन की प्रक्रिया :—

a. ऐसे कृषक जिनके पास कम से कम एक एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे इसका चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के होंगे। अर्थात् 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान इसके पात्र नहीं होंगे।

b. आवेदन पत्र जिला पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा जो निःशुल्क होगा। आवेदनकर्त्ता को आवेदन पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र Land Possession Certificate (LPC) संलग्न करना होगा।

c. विहित आवेदन पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदक का नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी से निष्पादित शपथ पत्र समर्पित करना होगा।

1002
28/11/15

d. किसी भी तरह का वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर Arbitration Authority के सहत् सचिव, ऊर्जा विभाग बिहार सरकार, पटना Arbitration Authority होंगे।

e. प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न विवाद पर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का आदेश मान्य होगा।

f. सुयोग्य आवेदन कर्त्ताओं की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने पर चयन का आधार 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' होगा। प्राप्त आवेदन और लाभार्थी की पात्रता की जाँच भौतिक स्थिति के सत्यापन सहित शीघ्र करा लिया जाय। सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी एवं स्थान चयन का अंतिम अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।

2. **लाभार्थी द्वारा अंशदान की प्रक्रिया :–**

a. सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी को अंशदान के रूप में 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि निदेशक ब्रेडा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से जमा करना होगा।

b. जिला पदाधिकारी लाभुकों की सूची कार्यस्थल की सूची लाभुक का अंशदान के साथ ब्रेडा को उपलब्ध करायेंगे और कार्यादेश ब्रेडा द्वारा दिया जायेगा।

c. सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु चयनित एजेंसी को सोलर पम्प अधिष्ठापन के पश्चात् लाभार्थी से प्राप्त अधिष्ठापन प्रमाण पत्र तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी एवं ब्रेडा के प्रतिनियुक्त तकनीकी पदाधिकारी/तकनीशियन से गुणवत्ता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राशि का भुगतान किया जायेगा।

d. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक ब्रेडा के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जाना होगा।

सोलर पम्प हेतु आवेदन का प्रारूप, किसान द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप एवं किसान एवं अभिकर्त्ता के बीच होने वाले अनुबंध का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हुए लाभार्थी का चयन कर सूची उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रेत्तर कारवाई की जा सके।

राशि की विवरणी बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
ब्रेडा, पटना।

74308

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... विकास...

13

समाहरणालय
28 NOV 2015

बिहार सरकार
बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी
(ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी अभिकरण)

तृतीय तल, "सोना भवन"
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001
Email id:- breda@breda.in
Tel no.- 0612-2507734 fax no.-0612-2506972

पत्रांक– BREDA/SPV/SWPS/13/2015-16 1523 दिनांक– 28/11/2015

प्रेषक,

निदेशक,
ब्रेडा, पटना।

कहां से Deal होगा, ज्ञात कर उपस्थापित करें
1.12.15

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषयः– सोलर वाटर पम्प का लाभार्थी सूची भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि रोड मैप में 2012–17 में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत अर्थात् 428 मेगावाट की आवश्यकता की पूर्त्ति का लक्ष्य है ताकि किसानों को वर्ष भर उनके खेतों पर ऊर्जा मिल सके और उनकी ग्रिड की ऊर्जा पर निर्भरता को कम किया जा सके। वर्ष 2015–16 राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 3HP के सोलर वाटर पम्पों का अधिष्ठापन उपर्युक्त जिला अन्तर्गत कराया जाना है।

599
28/11/15

इस योजना हेतु लाभार्थी लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी के होंगे। लाभार्थी को 4 इंच का बोरिंग की व्यवस्था स्वयं करना होगा। योजना में 3HP DC Submersible Solar Water Pump का अधिष्ठापन कराया जायेगा।

इस योजना में 25% प्रतिशत राशि लाभुकों को अंशदान के रूप में देना होगा, शेष राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। ब्रेडा द्वारा सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु निविदा की गई है। सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी एवं स्थान चयन का अंतिम अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।

1. लाभार्थी चयन की प्रक्रिया :–

a. ऐसे कृषक जिनके पास कम से कम एक एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे इसका चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के होंगे। अर्थात् 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान इसके पात्र नहीं होंगे।

b. आवेदन पत्र जिला पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त [illegible] निःशुल्क होगा। आवेदनकर्त्ता को आवेदन पत्र के साथ भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र Land Poss[illegible]ficate (LPC) संलग्न करना होगा।

c. विहित आवेदन पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदक [illegible]क दंडाधिकारी से निष्पादित शपथ पत्र समर्पित करना होगा।

d. किसी भी तरह का वैधानिक विवाद उत्पन्न होने पर Arbitration Authority के तहत् सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, पटना Arbitration Authority होंगे।

e. प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न विवाद पर सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार का आदेश मान्य होगा।

f. सुयोग्य आवेदन कर्त्ताओं की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने पर चयन का आधार "प्रथम आओ प्रथम पाओ" होगा। प्राप्त आवेदन और लाभार्थी की पात्रता की जाँच भौतिक स्थिति के सत्यापन सहित शीघ्र कर लिया जाय। सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी एवं स्थान चयन का अंतिम अधिकार जिला पदाधिकारी का होगा।

2. लाभार्थी द्वारा अंशदान की प्रक्रिया :–

a. सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थी को अंशदान के रूप में 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि निदेशक ब्रेडा के नाम से बैंक ड्राफ्ट से जमा करना होगा।

b. जिला पदाधिकारी लाभुकों की सूची कार्यस्थल की सूची लाभुक का अंशदान के साथ ब्रेडा को उपलब्ध करायेंगे और कार्यादेश ब्रेडा द्वारा दिया जायेगा।

c. सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु चयनित एजेंसी को सोलर पम्प अधिष्ठापन के पश्चात् लाभार्थी से प्राप्त अधिष्ठापन प्रमाण पत्र तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी एवं ब्रेडा के प्रतिनियुक्त तकनीकी पदाधिकारी/तकनीशियन से गुणवत्ता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद राशि का भुगतान किया जायेगा।

d. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशक ब्रेडा के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जाना होगा।

सोलर पम्प हेतु आवेदन का प्रारूप, किसान द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप एवं किसान एवं अभिकर्त्ता के बीच होने वाले अनुबंध का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि इस योजना को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हुए लाभार्थी का चयन कर सूची उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रेत्तर कारवाई की जा सके।

राशि की विवरणी बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी।

विश्वासभाजन

निदेशक
ब्रेडा, पटना

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी

तृतीय तल, सोन भवन
वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

लाभार्थी का अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो

सोलर पम्प के लिये आवेदन प्रपत्र

मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना

अंतर्गत

"सौर पम्प योजना"

1. लाभार्थी का नामः–..........
2. पिता / पति का नामः–..........
3. पूरा पता ....ग्राम..........
   पंचायत..........थाना..........
   प्रखण्ड..........जिला..........
4. कुल जोत एकड़ में..........
5. सोलर पम्प सिंचाई हेतु कमांड क्षेत्र..........
   मौजा..........खाता..........खेसरा..........रकबा (एकड़ में)
6. पानी का स्रोत..........
   (क) कूँआ..........कुआँ का व्यास..........मी0
   (ख) बोरिंग..........बोरिंग का व्यास..........मी0
   (ग) तालाब / नदी / झरना..........
   (घ) जल स्तर- गर्मी मे..........मी0 वर्षा में..........मी0
7. सिंचाई के अन्य उपलब्ध साधन..........
8. मिट्टी का प्रकार..........
9. सोलर पम्प प्राप्त करने का प्रयोजन ....सिंचाई एवं कृषि कार्य
10. पक्की सड़क मार्ग से साईट की दूरी..........
    ....
11. क्या पूर्व में भी सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु
    आपके द्वारा आवेदन दिया गया है या
    सोलर पम्प प्राप्त किया गया है।
12. क्या आपने सोलर पम्प किसी अन्य स्थान पर कार्यरत देखा है यदि हाँ तो इस संबंध में आपकी
    प्रतिक्रिया..........